भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2844
25 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फर्जी आयुष्मान भारत आईडी

2844. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कई फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्डों की पहचान की है;

(ख) अब तक देश भर में कुल कितने फर्जी आयुष्मान भारत आईडी कार्ड पकड़े गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने केवल वास्तविक लाभार्थियों के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लाभ उठाया जाना सुनिश्चित करने के लिए चेहरे की पहचान, आधार-आधारित सत्यापन या बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के उपयोग पर विचार किया है; और

(घ) क्या सरकार अनियमितताओं का पता लगाने के लिए जारी किए गए एबी-पीएमजेएवाई कार्ड और अस्पताल के दावों की आवधिक संपरीक्षा या तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाती है, यदि हां, तो प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने दुरुपयोग और कुप्रयोग के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है और विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं की रोकथाम, पता लगाने और निवारण के लिए कदम उठाए हैं।

निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, एनएचए में धोखाधड़ी-रोधी तंत्र की समग्र निगरानी और प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) की स्थापना की गई है, जिसे राज्य स्तर पर राज्य धोखाधड़ी रोधी इकाइयों (एसएएफयू) का सहयोग प्राप्त होता है।

आयुष्मान कार्ड से संबंधित संभावित संदिग्ध संचालन का पता लगाने के लिए , एनएएफयू स्वचालित ट्रिगर्स का उपयोग करता है, जो विसंगतियों को चिह्नित करता है, जैसे कि डेटाबेस में लाभार्थी डेटा में बेमेल, फोटो बेमेल आदि। एनएएफयू द्वारा पहचाने किए गए संदिग्ध कार्डों को संबंधित एसएएफयू को भेजा जाता है, जो डेस्क ऑडिट, फील्ड ऑडिट और आगे की जांच करते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान पाए

गए किसी भी संदिग्ध कार्ड को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाता है। एसएएफयू के निष्कर्षों के आधार पर, पुष्टि किए गए धोखाधड़ी वाले कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाते हैं।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों का सत्यापन अनिवार्य आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके करता है, जिसमें चेहरे की पहचान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मोबाइल आधारित ओटीपी शामिल है। आधार डेटाबेस से प्राप्त विवरणों का स्रोत डेटाबेस से मिलान किया जाता है और तदनुसार, लाभार्थी के विवरण के आधार पर आयुष्मान कार्ड के लिए अनुरोध को स्वीकृत या अस्वीकार कर दिया जाता है।

इसके अलावा, सेवाओं का लाभ उठाते समय आधार-आधारित सत्यापन अनिवार्य है, जिसमें चेहरा की पहचान और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल पात्र लाभार्थी ही योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्राप्त कर सकें।

(घ): एनएचए के पास सुस्थापित ऑडिट तंत्र और दिशा-निर्देश हैं। एनएचए और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां (एसएचए) नियमित डेस्क मेडिकल ऑडिट के साथ-साथ पैनलबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (ईएचसीपी) के परिसर में फील्ड ऑडिट भी करती हैं।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमाकर्ता/कार्यान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) को अस्पताल में भर्ती कुल मामलों के 5% पर चिकित्सा ऑडिट करने का अधिकार है और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को अस्पताल में भर्ती कुल मामलों के 2% प्रत्यक्ष ऑडिट और बीमाकर्ता/आईएसए द्वारा किए गए ऑडिट के 2% का अधिकार है। इसके अलावा, दावों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में यादृच्छिक ऑडिट और औचक निरीक्षण किए जाते हैं।

नीति आयोग आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का मूल्यांकन करता है।

*****